# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आरएएस

प्रकरण संख्याः– 35 ए /2022/आवेदन अं0 धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

बलदेवाराम पुत्र रामूराम जाति बलाई निवासी खातीवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र मोतीराम
2. भादरमल पुत्र मोतीराम

   समस्त जाति बलाई निवासी खातीवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. रामनिवास पुत्र बलदेवाराम
4. सीमा पुत्री बलदेवाराम
5. मनीषा पुत्री बलदेवाराम

   समस्त जाति बलाई निवासीगण लक्ष्मणपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
6. रामकृष्ण नाबालिग जरिये सरंक्षक पिता बलदेवाराम पुत्र भगवानाराम जाति बलाई निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
7. भंवरी पत्नि स्व. नेमाराम
8. पप्पूराम पुत्र स्व. नेमाराम
9. सुरेश पुत्र स्व. नेमाराम
10. मुन्नी पुत्री स्व. नेमाराम

    समस्त जाति बलाई निवासीगण खातीवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
11. सोहनी देवी पत्नि स्व. मूलचंद
12. महेश पुत्र स्व. मूलचंद
13. संजु पुत्र स्व. मूलचंद
14. चावली पत्नि स्व. रामेश्वरलाल
15. बीजू पुत्र स्व. रामेश्वरलाल
16. पुजा पुत्री स्व. रामेश्वरलाल
17. लाडा देवी पत्नि तुलछाराम
18. सुगनाराम पुत्र तुलछाराम
19. भंवरी देवी पत्नि स्व. सुवाराम
20. राजू पुत्र स्व. सुवाराम
21. अशोक पुत्र स्व. सुवाराम

    समस्त जाति बालई निवासीगण खातीवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।
23. पटवारी पटवार हल्का सुलियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

## प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी
## अर्न्तगत धारा 111 व 128 आर. एल. एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री हनुमान प्रसाद जांगिड वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री किशनलाल वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 14, 16 ता 21 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 15, 22 व 23 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गयी।

निर्णय दिनांक – 18.07.2022

1 आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खातीवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 202 ता 204, 213, 214, 241, 359, 385, 4, 402, 5 कुल किता 11 कुल रकबा 16.13 है0 जिसमे आवदेक 1/3 हिस्से का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है और वह अपने उक्त हिस्से की भूमियों पर अर्सा कदीमी से निरंतर निर्विवाद रूप से काबिज होकर कब्जाकाश्त करता आ रहा है और उक्त कृषि भूमियां ही उसकी आजिविका अर्जित करने का एकमात्र जरिया है अर्थात उक्त भूमियों से प्राप्त होने वाली आमदनी के अलावा आय का अन्य कोई भी स्त्रोत आवेदक के पास उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त वर्णित भूमियों मे अपने उक्त हिस्से का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है और वह अपने उक्त हिस्से की भूमियो बाबत ख.नं. 359 पर अर्सा कदीमी से निरंतर निर्विवाद रूप से काबिज होकर कब्जाकाश्त करता आ रहा है और उक्त भूमियां ही उसकी आजिविका अर्जित करने का एकमात्र जरिया है। आवेदक व अनावेदकगण आपस मे सीवाजोड पडौसी है। उक्त कृषि भूमियो के सबंधित रिकार्डेड खातेदार काश्तकार यथा जमना देवी, नेमाराम, मूलचंद, रामेश्वरलाल व सुवाराम फौत होने के कारण से उनके विधिक वारिशान को प्रस्तुत प्रकरण मे बतौर अनावेदकगण के पक्षकार बनाकर संयोजित किया गया है। अनावेदकगण आये दिन आवेदक की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों में से उसके उक्त हिस्से की भूमियों यथा ख.नं. 359 की नींव सींव को तोडते रहते है जिससे परेशान होकर वादी ने एक आवेदन बाबत उक्त

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

भूमियों का सीमाज्ञान करने हेतु पेश किया था जिसकी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 03.06.2019 को हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गयी जिसकी नकल आवेदक ने प्राप्त कर ली है। अनावेदकगण काफी तेज व चालाक है जो आये दिन वादी के खेत की सीमाओं को तोडते रहते है व खुर्द बुर्द करते रहते है। इससे आवेदक के पास पत्थरगढी करवाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नही रहा है। लिहाजा आवेदक को उक्त भूमियो के पत्थरगढी करवाने बाबत प्रस्तुत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी समझा है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 202 ता 204, 213, 214, 241, 359, 385, 4, 402, 5, 359 की पत्थरगढी/ पुख्ता सीमा चिन्ह् कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना प्राथनीय है।

2 आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 15, 22 व 23 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14, 16 ता 21 की ओर से वकील किशनलाल वर्मा हाजिर आये तथा जबाब आवदेन पेश कर कथन किया कि प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विधिपूर्ण निस्तारण किया जाना न्यायहित में सादर प्रार्थनीय है। आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राज़स्थान भू–राजस्व अधिनियम पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3 आवेदन पर सुनी गई उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम खातीवास पटवार हल्का सुलियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमान्दी संवत् 2076–79 के अवलोकन सें स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 202 ता 204, 213, 214, 241, 359, 385, 4, 402, 5 की सहखातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का सुलियावास दिनांक 03.06.2019 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः प्रार्थी अपनी सहखातेदारी भूमि की

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2019 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थी की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7/22

(सुरेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ